[2019] 2 उम. नि. प. 218

अमित कुमार (डा.)

बनाम

डा. सोनिला और अन्य

26 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (1956 का 32) – धारा 6 [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 2, नियम 2] – अप्राप्तवय बालकों की अभिरक्षा का दावा – पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद के समय बालकों की अभिरक्षा पति को देने और बालकों के खर्चे दोनों पक्षकारों में विभाजित करने का निर्णय – जब पत्नी ने विवाह-विच्छेद की डिक्री के समय अभिरक्षा का दावा करने संबंधी अपने अधिकारों का त्याग कर दिया था तो वह विवाह-विच्छेद के पश्चात् अभिरक्षा के लिए दावा नहीं कर सकती है और पति को मात्र इस कारण कि उसने दूसरा विवाह कर लिया है, बालकों की अभिरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है ।

प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 का हिन्दू रीति-रिवाज़ों के अनुसार विवाह हुआ था और उनके विवाहोत्तर एक पुत्र (प्रत्यर्थी सं. 2) और एक पुत्री (प्रत्यर्थी सं. 2) का जन्म हुआ था, जिनकी आयु इस समय क्रमशः लगभग 11 वर्ष और 8 वर्ष है । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रक्रम पर उनके विवाह में परेशानी उत्पन्न हो गई और सुलह कराने के सभी प्रयास विफल हो गए । अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 दोनों अर्हताप्राप्त डाक्टर हैं, जो कि आरंभ से ही के. रि. पु. ब. में तैनात रहे थे और यही स्थिति आज भी विद्यमान है । अंततः, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए सहमत हो गए और उन्होंने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13ख के अधीन एक याचिका फाइल की । विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रदान की गई थी । विवाह-विच्छेद की डिक्री के दो सुसंगत

निबंधन ये थे – यह कि याची सं. 1 और 2 अपनी पसन्द के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं । भविष्य में, याची सं. 1 का याची सं. 2 पर पति का कोई अधिकार नहीं है, इसी प्रकार याची सं. 2 ने भी आज से याची सं. 1 पर पत्नी के रूप में अपना अधिकार खो दिया है और यह कि याची सं. 1 और 2 दोनों इस बात पर सहमत हैं कि दोनों बच्चे याची सं. 1 की अभिरक्षा में उसके साथ रहेंगे । याची सं. 1 पुत्र की शिक्षा, दवाइयों और विवाह की व्यवस्था करेगा । याची सं. 2 पुत्री की शिक्षा, दवाइयों और विवाह की व्यवस्था करेगी । सुसंगत समय पर पक्षकार नांदेड में तैनात थे और इस प्रकार, आरंभ में, अभिरक्षा संबंधी व्यवस्था ठीक प्रकार चली । तथापि, मुद्दा तब उद्भूत हुआ जब अपीलार्थी को जम्मू स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके कारण उसके लिए प्रकटतः प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 को पुणे के बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश कराने की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया, जबकि उसने बच्चों को अपने साथ रखने के लिए जम्मू लाने की संभावना का निर्धारण किया । निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने किसी भी समय पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद के निबंधनों के अनुसार अपनी बाध्यताओं के मद्धे कोई वित्तीय अंशदान नहीं किया । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 1 को इस तथ्य का उल्लेख करते हुए और पुत्री के लिए पुणे के बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए अपेक्षित रकम और उसके निर्वाह व्ययों की पूर्ति करने के अतिरिक्त असंदत्त रकमों का संदाय करने की मांग करते हुए एक विधिक सूचना भेजी । ऐसा प्रतीत होता है कि इसी मांग के कारण प्रस्तुत विवाद उत्पन्न हुआ । प्रत्यर्थी सं. 1 ने उपर्युक्त सूचना के उत्तर में यह प्रश्न उठाया कि सम्मति डिक्री उसे स्वीकार्य नहीं थी और इसलिए उसके काउन्सेल ने उसे बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में डिक्री के निबंधनों और उसकी शर्तों में उपांतरण करने की ईप्सा करने की सलाह दी थी । यह भी अभिकथन किया गया था कि प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 का बोर्डिंग स्कूल में स्थानांतरण अपीलार्थी का एकपक्षीय कार्य था और उद्धृत व्यय अत्यधिक थे । प्रत्यर्थी सं. 1 ने हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन अपने अप्राप्तवय बच्चों की अभिरक्षा की ईप्सा करते हुए एक आवेदन फाइल किया । आवेदन का निपटारा करते हुए न्यायालय ने यह

अवेक्षा की कि बच्चों का हित ही सर्वोपरि विचारणा थी । न्यायालय ने इस बात को विचार में रखा कि दोनों पक्षकार सुशिक्षित थे और समान व्यवसाय और हैसियत रखते थे और वे छह मास की कानूनी अवधि पूरी करने के पश्चात् विवाह-विच्छेद की डिक्री के निबंधनों और शर्तों के संबंध में पारस्परिक रूप से सहमत थे । अतः, अपीलार्थी को बच्चों की अभिरक्षा से वंचित करने का कोई कारण नहीं है किन्तु बच्चों से मिलने संबंधी अधिकारों की व्यवस्था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि दोनों पक्षकार भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर निवास करते थे । इस आदेश को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । जबकि रिट याचिका अभी लंबित थी, तब प्रत्यर्थी सं. 1 ने इस घोषणा के लिए सिविल वाद फाइल किया कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारस्परिक सम्मति द्वारा पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रपीड़न, कपट और दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई थी और इसलिए वह अकृत और शून्य थी और इसलिए पक्षकारों के बीच विवाह प्रभावित नहीं हुआ था । यह कहा गया है कि यह वाद अभी लंबित है । कार्यवाहियों के दौरान, मध्यकता का भी प्रयास किया गया था किन्तु वह असफल रही । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने बच्चों से बातचीत करने के पश्चात् एक आदेश पारित किया । न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुत्र और पुत्री प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ रहना चाहते हैं किन्तु वे अपने पिता को भी उसी तरह प्यार करते हैं । विद्वान् न्यायाधीश ने माता के रूप में प्रत्यर्थी सं. 1 की इच्छा को अधिमानता दी और यह निदेश दिया कि बच्चे एक वर्ष की अवधि के लिए उस स्थान पर, जहां उनकी माता निवास करती है, उस स्कूल में, जिसमें वे प्रवेश प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए माता की अभिरक्षा में रहेंगे और पिता को उनसे मिलने के अधिकार प्राप्त होंगे । मिलने के अधिकारों के कार्यान्वयन के संबंध में अनेक निदेश पारित किए गए थे । अपीलार्थी ने, इस आदेश से व्यथित होकर, विशेष इजाजत याचिका फाइल की । इजाजत दी गई थी और इस अपील का निपटारा सम्मति डिक्री के उन खंडों के प्रतिनिर्देश करते हुए कर दिया गया था, जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय अवेक्षा नहीं की गई । मामला उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचार करने के लिए विप्रेषित किया गया था । उच्च न्यायालय ने

अपीलार्थी की ओर से किए गए इस निवेदन की अवेक्षा करने के पश्चात् कि विवाह-विच्छेद की डिक्री की शर्तों में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, मामले का एक वर्ष के पश्चात् पुनर्विलोकन करने के लिए उसे तारीख 19 मार्च, 2019 को सूचीबद्ध कर दिया । इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी को दोनों बच्चों की अभिरक्षा देने का निर्णय एक सोच-विचार कर लिया गया निर्णय था, जो कि पक्षकारों द्वारा सुसंगत प्रक्रम पर लिया गया था और इसे दबाव, प्रभाव या कपट द्वारा लिए गए निर्णय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है । प्रत्यर्थी सं. 1 सुशिक्षित है और एक चिकित्सा व्यवसायी है । पक्षकारों के पास विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने से पूर्व समझौते के निबंधनों पर सोच-विचार करने के लिए छह (6) मास का अंतराल था, जो कि पक्षकारों के लिए पुनर्विचार करने हेतु, यदि वे ऐसा करना उपयुक्त समझें, उपलब्ध कानूनी अवधि है । पक्षकार खंड 5 के अनुसार स्पष्ट रूप से इस संबंध में सहमत हो गए थे कि वे पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं । अभिरक्षा के निबंधनों के अनुसार, उक्त विवाह से अभिरक्षा संबंधी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम से कम पक्षकारों के बीच हुए निबंधनों के अनुसार तो ऐसा ही है । अपीलार्थी ने दोनों बच्चों के समस्त खर्चों का वहन किया है क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 1 आरंभ से ही, पक्षकारों के बीच हुए करार के प्रतिकूल, पुत्री के खर्चे मद्धे कुछ भी अंशदान करने में असफल रही । प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा बच्चों की अभिरक्षा का दावा करने का प्रश्न केवल तभी उद्भूत हुआ जब अपीलार्थी ने उससे वित्तीय रूप से अंशदान करने के लिए कहा । यह कोई वित्तीय परेशानी वाला मामला नहीं था बल्कि यह अपनी पुत्री के लिए अंशदान करने संबंधी प्रत्यर्थी की अनिच्छा है जबकि वह इसके साथ-साथ अपने सहकर्मी को धनराशियां अंतरित कर रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार्यवाहियां आरंभ में अभिरक्षा के लिए प्रारंभ हुई थीं और इसके पश्चात् विवाह-विच्छेद की डिक्री के रद्दकरण के लिए की गई थीं, स्पष्ट रूप से अपीलार्थी पर इस बात का दबाव डालने का प्रयास

था कि वह किसी प्रकार की रकम का दावा न करे । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 2, नियम 2 में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि जहां वादी अपने दावे के किसी भाग को साशय त्याग देता है वहां उसके पश्चात् वह इस प्रकार त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा । प्रत्यर्थी सं. 1 ने अभिरक्षा का दावा करने संबंधी अपने अधिकारों का त्याग कर दिया था और इसलिए उसके द्वारा फाइल किया गया वाद भी पूर्णतः संदेहास्पद है । (पैरा 16 और 17)

मात्र इस कारण कि अपीलार्थी ने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और उसने दूसरा विवाह कर लिया था, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच तय की गई बच्चों की अभिरक्षा से उसे वंचित करने का किसी प्रकार का कोई आधार नहीं बनता है, विशेषकर तब जब कि वह बच्चों की देखभाल कर रहा है और अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकरा नहीं है । प्रत्यर्थी सं. 1 ने वित्तीय दायित्व से बचने की दृष्टि से ये कार्यवाहियां आरंभ कीं जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश किया गया तथा पृथक् वाद संबंधी कार्यवाही हुई । न्यायालय इस बात का अधिमूल्यन करने में असमर्थ हैं कि प्रत्यर्थी सं. 1 अब वाद फाइल करके, जिसमें यह दावा किया गया है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री अकृत और शून्य है, क्या करना चाहती है जबकि विवाह-विच्छेद के लिए पारस्परिक सम्मति होने की स्वीकृति विद्यमान है और अपीलार्थी ने पहले ही पुनर्विवाह कर लिया है । (पैरा 19)

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 10771.

2017 की रिट याचिका सं. 12432 में बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद न्यायपीठ के तारीख 25 जुलाई, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अरविन्द कुमार

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री कुनाल चीमा और सुश्री आदिती डी. पार्थी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने दिया ।

न्या. कौल – इजाजत दी जाती है ।

2. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 का तारीख 7 मई, 2004 को हिन्दू रीति-रिवाज़ों के अनुसार विवाह हुआ था और उनके विवाहोत्तर एक पुत्र (प्रत्यर्थी सं. 2) और एक पुत्री (प्रत्यर्थी सं. 3) का जन्म हुआ था, जिनकी आयु इस समय क्रमशः लगभग 11 वर्ष और 8 वर्ष है । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रक्रम पर उनके विवाह में परेशानी उत्पन्न हो गई और सुलह कराने के सभी प्रयास विफल हो गए । अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 दोनों अर्हता प्राप्त डाक्टर हैं, जो कि आरंभ से ही के.रि.पु.ब. में तैनात रहे थे और यही स्थिति आज भी विद्यमान है ।

3. अंततः, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए सहमत हो गए और उन्होंने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13ख के अधीन एक याचिका फाइल की । प्रथम समावेदन जून, 2016 में फाइल किया गया था और छह (6) मास की कानूनी अवधि के अवसान के पश्चात्, द्वितीय समावेदन पारित किया गया था और तारीख 9 दिसम्बर, 2016 को विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रदान की गई थी ।

4. प्रस्तुत अपील के प्रयोजनों के लिए विवाह-विच्छेद की डिक्री के दो सुसंगत निबंधनों को नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "5. यह कि याची सं. 1 और 2 अपनी पसन्द के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं । भविष्य में, याची सं. 1 का याची सं. 2 पर पति का कोई अधिकार नहीं है, इसी प्रकार याची सं. 2 ने भी आज से याची सं. 1 पर पत्नी के रूप में अपना अधिकार खो दिया है ।
>
> 6. यह कि याची सं. 1 और 2 दोनों इस बात पर सहमत हैं कि दोनों बच्चे याची सं. 1 की अभिरक्षा में उसके साथ रहेंगे । याची सं. 1 आरोक्या कुमार पुत्र अमित कुमार की शिक्षा, दवाइयों और विवाह की व्यवस्था करेगा । याची सं. 2 रिया कुमारी पुत्री अमित कुमार की शिक्षा, दवाइयों और विवाह की व्यवस्था करेगी ।"

5. उपर्युक्त निबंधनों के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि पैरा 5 विवाह-विच्छेद की डिक्री के स्वाभाविक परिणामस्वरूप था, अर्थात्, दोनों पक्षकार पुनर्विवाह कर सकेंगे । खंड 6 में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच दोनों बच्चों की अभिरक्षा के मुद्दे के संबंध में परस्पर सहमति के लिए उपबंध किया गया है, जिससे अपीलार्थी सहमत थी । तथापि, संभवतः उनकी समरूप वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह करार किया गया था कि अपीलार्थी पुत्र के लिए शिक्षा, दवाइयों और विवाह की व्यवस्था करेगी जबकि प्रत्यर्थी सं. 1 इसी प्रकार की व्यवस्था पुत्री के लिए करेगी ।

6. सुसंगत समय पर पक्षकार नांदेड में तैनात थे और इस प्रकार, आरंभ में, अभिरक्षा संबंधी व्यवस्था ठीक प्रकार चली । तथापि, मुद्दा तब उद्भूत हुआ जब अपीलार्थी का नांदेड के बाहर स्थानांतरण हो गया । अपीलार्थी को जम्मू स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके कारण उसके लिए प्रकटतः प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 को पुणे के बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश कराने की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया, जबकि उसने बच्चों को अपने साथ रखने के लिए जम्मू लाने की संभावना का निर्धारण किया । निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने किसी भी समय पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद के निबंधनों के अनुसार अपनी बाध्यताओं के मद्धे कोई वित्तीय अंशदान नहीं किया । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 1 को इस तथ्य का उल्लेख करते हुए और पुत्री के लिए पुणे के बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए अपेक्षित रकम और उसके निर्वाह व्ययों की पूर्ति करने के अतिरिक्त असंदत्त रकमों का संदाय करने की मांग करते हुए तारीख 28 मार्च, 2017 की एक विधिक सूचना भेजी । ऐसा प्रतीत होता है कि इसी मांग के कारण प्रस्तुत विवाद उत्पन्न हुआ ।

7. प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने काउंसेल के माध्यम से तारीख 15 अप्रैल, 2017 को उपर्युक्त सूचना का उत्तर भेजा । उक्त उत्तर में यह प्रश्न उठाया गया कि सम्मति डिक्री उसे स्वीकार्य नहीं थी और इसलिए उसके काउंसेल ने उसे बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में डिक्री के निबंधनों और उसकी शर्तों में उपांतरण करने की ईप्सा करने की सलाह दी थी । यह भी अभिकथन किया गया था कि प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 का बोर्डिंग

स्कूल में स्थानांतरण अपीलार्थी का एकपक्षीय कार्य था और उद्धृत व्यय अत्यधिक थे ।

8. प्रत्यर्थी सं. 1 ने हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन अपने अप्राप्तवय बच्चों की अभिरक्षा की ईप्सा करते हुए तारीख 31 मई, 2017 का एक आवेदन फाइल किया । उस आवेदन में यह अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 1, प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के भविष्य के संबंध में, जो कि अल्पवयस्क हैं, मानसिक रूप से विक्षुब्ध थी और यह कि विवाह-विच्छेद के समय अपीलार्थी ने आवेदक को "उसकी हां में हां मिलाने के लिए मजबूर और प्रपीड़ित किया, हालांकि वे शर्तें आवेदक को स्वीकार्य नहीं थीं ।" इसके अलावा, यह अभिवचन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने बच्चों की आत्यांतिक अभिरक्षा इसलिए नहीं मांगी थी जिससे कि बच्चों को उनकी शिक्षा के संबंध में कोई परेशान न हों । इस आवेदन में यह भी स्वीकार किया गया है कि इसका कारण अपीलार्थी द्वारा अपने काउंसेल के माध्यम से भेजी गई तारीख 28 मार्च, 2017 की वह सूचना थी, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 को प्रथम बार यह सूचित किया गया था कि बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाला जा रहा था । ऐसी संसूचना के प्रति भी निर्देश किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा यह अभिकथित किया गया था कि प्रत्यर्थी सं. 1 बच्चों की अभिरक्षा और उनके उत्तरदायित्व से छुटकारा चाहती थी और यही कारण है कि उसने उनकी अभिरक्षा अपीलार्थी को दी थी क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 1 ने पुनर्विवाह करने का निर्णय कर लिया था । प्रत्यर्थी सं. 1 की तुलना में अपीलार्थी के बच्चों से मिलने के अधिकारों से संबंधित समस्या के बारे में कतिपय अन्य अभिकथन भी किए गए हैं, जो कि प्रश्नगत संविवाद के लिए संगत नहीं हैं ।

9. उपर्युक्त आवेदन का अपीलार्थी द्वारा उत्तर फाइल करके विरोध किया गया था, जिसके द्वारा इस बात पर जोर देने की ईप्सा की गई थी कि डिक्री के निबंधनों के संबंध में सहमति हो गई थी, पक्षकारों को उन पर विचार करने के लिए छह मास की समयावधि प्रदान की गई थी और उसके पश्चात् ही उन्हें विवाह-विच्छेद की डिक्री में शामिल किया गया था । इसके उत्तर में, यह भी इंगित किया गया है कि यद्यपि

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच विवाह, एक प्रेम विवाह था, प्रत्यर्थी सं. 1 और उत्तर में नामित उसके विद्यालय के पुरुष-मित्र के बीच, अभिकथित संबंध होने के कारण मुद्दे उद्भूत हुए । यह भी अभिकथित किया गया था कि उसे रंगे हाथ पकड़ा गया था किन्तु उसके द्वारा माफी मांगने पर अपीलार्थी ने अपना संबंध बनाए रखने का निर्णय लिया । तथापि, यह अभिकथित किया गया है कि इसके बावजूद भी उन दोनों के बीच संपर्क समाप्त नहीं हुआ । इसके अलावा, यह अभिकथित किया गया है कि उसने मार्च, 2016 में उसी संगठन में कार्य करने वाले एक व्यक्ति से संबंध बनाना आरंभ कर दिया, जिसे आवेदन में नामित किया गया है और यह कि, इस बात का पता लगने पर प्रत्यर्थी सं. 1 ने उस कारण आत्महत्या करने का प्रयत्न भी किया, जिसके संबंध में चिकित्सीय अभिलेख उपलब्ध है । यह कहा गया है कि पक्षकारों की समाज में गरिमा बनाए रखने की दृष्टि से प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध ये अभिकथन किए बिना विवाह-विच्छेद के संबंध में सहमति बन गई । जिला न्यायाधीश ने तारीख 4 सितम्बर, 2017 को आवेदन का निपटारा कर दिया । न्यायालय ने यह अवेक्षा की कि बच्चों का हित ही सर्वोपरि विचारणा थी । न्यायालय ने इस बात को विचार में रखा कि दोनों पक्षकार सुशिक्षित थे और समान व्यवसाय और हैसियत रखते थे और वे छह मास की कानूनी अवधि पूरी करने के पश्चात् विवाह-विच्छेद की डिक्री के निबंधनों और शर्तों के संबंध में पारस्परिक रूप से सहमत थे । अतः, अपीलार्थी को बच्चों की अभिरक्षा से वंचित करने का कोई कारण नहीं है किन्तु बच्चों से मिलने संबंधी अधिकारों की व्यवस्था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि दोनों पक्षकार भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर निवास करते थे ।

10. इस आदेश को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा 2017 की रिट याचिका सं. 12432 में उच्च न्यायालय के समक्ष सितम्बर, 2017 में चुनौती दी गई थी । जबकि रिट याचिका अभी लंबित थी, तब प्रत्यर्थी सं. 1 ने इस घोषणा के लिए सिविल वाद फाइल किया कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारस्परिक सम्मति द्वारा पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रपीड़न, कपट और दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई थी और इसलिए वह अकृत और

शून्य थी और इसलिए पक्षकारों के बीच विवाह प्रभावित नहीं हुआ था । यह कहा गया है कि यह वाद अभी लंबित है ।

11. कार्यवाहियों के दौरान, मध्यकता का भी प्रयास किया गया था किन्तु वह असफल रही । बम्बई उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने बच्चों से बातचीत करने के पश्चात् तारीख 12 जून, 2018 को एक आदेश पारित किया । विद्वान् न्यायाधीश ने इस पश्चात्वर्ती गतिविधि का भी उल्लेख किया कि अपीलार्थी ने हाल ही में इस आदेश से पूर्व विवाह कर लिया था और उसकी दूसरी पत्नी का, उसके प्रथम विवाह से उत्पन्न एक जैविक पुत्र था, जो कि इस समय उनके साथ रह रहा है । अपीलार्थी ने उस समय तक बच्चों का प्रवेश जम्मू के एक स्कूल में भी करा दिया था । यह कहा गया है कि बच्चों से हुई बातचीत के परिणामस्वरूप न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुत्र और पुत्री प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ रहना चाहते हैं किन्तु वे अपने पिता को भी उसी तरह प्यार करते हैं । विद्वान् न्यायाधीश ने माता के रूप में प्रत्यर्थी सं. 1 की इच्छा को अधिमानता दी और यह निदेश दिया कि बच्चे एक वर्ष की अवधि के लिए उस स्थान पर, जहां उनकी माता निवास करती है, उस स्कूल में, जिसमें वे प्रवेश प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए माता की अभिरक्षा में रहेंगे और पिता को उनसे मिलने के अधिकार प्राप्त होंगे । मिलने के अधिकारों के कार्यान्वयन के संबंध में अनेक निदेश पारित किए गए थे ।

12. अपीलार्थी ने, इस आदेश से व्यथित होकर, 2018 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 16667 फाइल की । इजाजत दी गई थी और 2018 की इस अपील सं. 6500 का निपटारा तारीख 11 जुलाई, 2018 को सम्मति डिक्री के उन खंडों के प्रतिनिर्देश करते हुए कर दिया गया था, जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय अवेक्षा नहीं की गई थी । इसके पश्चात्, मामला उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचार करने के लिए विप्रेषित किया गया था ।

13. बच्चों के साथ हुई बातचीत के आधार पर, बम्बई उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 25 जुलाई, 2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा पुनः यह निदेश दिया कि बच्चों की अभिरक्षा

माता के पास होगी और पिता को मिलने के अधिकार प्राप्त होंगे । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से किए गए इस निवेदन की अवेक्षा करने के पश्चात् कि विवाह-विच्छेद की डिक्री की शर्तों में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, मामले का एक वर्ष के पश्चात् पुनर्विलोकन करने के लिए उसे तारीख 19 मार्च, 2019 को सूचीबद्ध कर दिया ।

14. हमने अपीलार्थी और उन प्रत्यर्थियों को, जिनके साथ हमने बातचीत की थी, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया था । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान कतिपय अभिवचनों की ओर आकृष्ट किया जिनसे यह दर्शित होगा कि उस अधिकारी के विरुद्ध, जिसके साथ प्रत्यर्थी सं. 1 के संबंध होने का अभिकथन किया गया था, कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं । के.रि.पु.ब. के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए तारीख 14 मार्च, 2017 के ज्ञापन में आरोप की मदों के समर्थन में अवचार के अभ्यारोपणों के प्रतिनिर्देश किया गया और विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिकथित किया गया है कि उक्त अधिकारी ने कार्यालय समय के दौरान प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ बातचीत करते समय अनैतिक पाठों का प्रयोग किया था । उनका विवरण भी उपवर्णित किया गया है । यह कहा गया है कि जांच अभी लंबित है । न्यायालय द्वारा की गई बातचीत के अनुक्रम में यह बात प्रकाश में आई थी कि अपीलार्थी और उसकी दूसरी पत्नी के अनुसार, विवाह-विषयक ठहराव यह सोचकर किया गया था कि प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 अपीलार्थी के साथ रहेंगे और अपीलार्थी की दूसरी पत्नी उनकी देखरेख करेगी । अपीलार्थी की दूसरी पत्नी एम.बी.ए. स्नातक है और वह इससे पूर्व एक बैंक में कार्यरत थी किन्तु उसने घरेलू उत्तरदायित्वों की देखरेख के लिए त्यागपत्र दे दिया था । अपीलार्थी ने यह भी कथन किया है कि जबकि एक ओर प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा सम्मति डिक्री की बाध्यताओं के अनुसार अपीलार्थी सं. 1 को पुत्री के संबंध में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है, दूसरी ओर वह उस व्यक्ति को, जिसके साथ अभिकथित रूप से उसका संबंध है, पर्याप्त रकमें अंतरित कर रही थी । न्यायालय द्वारा पूछताछ करने पर, प्रत्यर्थी सं. 1 ने आरंभ में इस तथ्य का विरोध किया कि अपीलार्थी की उसके बैंक ब्यौरों तक पहुंच थी किन्तु सुस्पष्ट प्रश्न पूछने

पर उसने स्वीकार किया कि उसने अपने सहकर्मी को निधियां अंतरित की थीं किन्तु यह कथन किया कि वह उसका निजी मामला है । उसने यह अभिवाक् करने की ईप्सा की कि यह बात तात्विक नहीं है कि वह अच्छी पत्नी थी अथवा नहीं किन्तु यह सही है कि वह एक अच्छी माता है, जैसा कि विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा बच्चों से की गई बातचीत से प्रकट हुआ था ।

15. हमने इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है । यह मुद्दा इतना साधारण नहीं है क्योंकि इसमें इन छोटे बच्चों, प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के हित अंतर्वलित है, जो कि सर्वोपरि चिन्ता का विषय है । ऐसा कथन करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी आयु अतिसंवेदनशील है और केवल बातचीत ही एक ऐसा कारक हो सकता है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

16. हमारी राय में, स्पष्ट रूप से यह परिणाम निकलता है कि अपीलार्थी को दोनों बच्चों की अभिरक्षा देने का निर्णय एक सोच-विचार कर लिया गया निर्णय था, जो कि पक्षकारों द्वारा सुसंगत प्रक्रम पर लिया गया था और इसे दबाव, प्रभाव या कपट द्वारा लिए गए निर्णय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है । प्रत्यर्थी सं. 1 सुशिक्षित है और एक चिकित्सा व्यवसायी है । पक्षकारों के पास विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने से पूर्व समझौते के निबंधनों पर सोच-विचार करने के लिए छह (6) मास का अंतराल था, जो कि पक्षकारों के लिए पुनर्विचार करने हेतु, यदि वे ऐसा करना उपयुक्त समझे, उपलब्ध कानूनी अवधि है । पक्षकार खंड 5 के अनुसार स्पष्ट रूप से इस संबंध में सहमत हो गए थे कि वे पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं । अभिरक्षा के निबंधनों के अनुसार, उक्त विवाह से अभिरक्षा संबंधी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम से कम पक्षकारों के बीच हुए निबंधनों के अनुसार तो ऐसा ही है । अपीलार्थी ने दोनों बच्चों के समस्त खर्चों का वहन किया है क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 1 आरंभ से ही, पक्षकारों के बीच हुए करार के प्रतिकूल, पुत्री के खर्चे मद्धे कुछ भी अंशदान करने में असफल रही ।

17. प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा बच्चों की अभिरक्षा का दावा करने का प्रश्न केवल तभी उद्भूत हुआ जब अपीलार्थी ने उससे वित्तीय रूप से अंशदान करने के लिए कहा । यह कोई वित्तीय परेशानी वाला मामला नहीं था बल्कि यह अपनी पुत्री के लिए अंशदान करने संबंधी प्रत्यर्थी की अनिच्छा है जबकि वह इसके साथ-साथ अपने सहकर्मी को धनराशियां अंतरित कर रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार्यवाहियां आरंभ में अभिरक्षा के लिए प्रारंभ हुई थी और इसके पश्चात् विवाह-विच्छेद की डिक्री के रद्दकरण के लिए की गई थीं, स्पष्ट रूप से अपीलार्थी पर इस बात का दबाव डालने का प्रयास था कि वह किसी प्रकार की रकम का दावा न करे । हम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 2, नियम 2 की ओर ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि जहां वादी अपने दावे के किसी भाग को साशय त्याग देता है वहां उसके पश्चात् वह इस प्रकार त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा । प्रत्यर्थी सं. 1 ने अभिरक्षा का दावा करने संबंधी अपने अधिकारों का त्याग कर दिया था और इसलिए उसके द्वारा फाइल किया गया वाद भी पूर्णतः संदेहास्पद है ।

18. हम यहां यह जोड़ना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी कोई आकस्मिकता नहीं हो सकती है जहां ऐसे निबंधनों में उपांतरण की अपेक्षा की जाए किन्तु वह तब उद्भूत होगी यदि बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी वांछा की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से तब यदि अपीलार्थी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने या बच्चों की देखभाल करने में असफल रहता है । अपीलार्थी के दूसरे विवाह का उपयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही उसकी दूसरी पत्नी के बच्चे के उसके साथ रहने संबंधी तथ्य के कारण उसे अपने दोनों बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित अधिकारों से, जो कि प्रत्यर्थी सं. 1 की सम्मति से विनिर्दिष्ट रूप से उसे प्रदत्त किए गए थे, वंचित किया जा सकता है ।

19. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि ऐसी बात नहीं है कि अपीलार्थी बच्चों की देखभाल नहीं कर रहा था । बच्चों ने अपने पिता के प्रति स्नेह प्रकट किया है । अपीलार्थी की सेवा शर्तों

की आकस्मिकताओं के कारण बच्चों को कुछ समय के लिए बोर्डिंग स्कूल में डालना पड़ा और वह आकस्मिकता इस समय अस्तित्व में भी नहीं है । पक्षकारों को यह ज्ञात था कि उनकी नौकरी स्थानांतरणीय है । पक्षकारों द्वारा बच्चों के हित में अपीलार्थी को अनन्य अभिरक्षा देने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया था । अपीलार्थी की दूसरी पत्नी एक शिक्षित महिला है । मात्र इस कारण कि अपीलार्थी ने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और उसने दूसरा विवाह कर लिया था, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच तय की गई बच्चों की अभिरक्षा से उसे वंचित करने का किसी प्रकार का कोई आधार नहीं बनता है, विशेषकर तब जब कि वह बच्चों की देखभाल कर रहा है और अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकरा नहीं है । प्रत्यर्थी सं. 1 ने वित्तीय दायित्व से बचने की दृष्टि से ये कार्यवाहियां आरंभ कीं जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश किया गया तथा पृथक् वाद संबंधी कार्यवाही हुई । हम इस बात का अधिमूल्यन करने में असमर्थ हैं कि प्रत्यर्थी सं. 1 अब वाद फाइल करके, जिसमें यह दावा किया गया है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री अकृत और शून्य है, क्या करना चाहती है जबकि विवाह-विच्छेद के लिए पारस्परिक सम्मति होने की स्वीकृति विद्यमान है और अपीलार्थी ने पहले ही पुनर्विवाह कर लिया है । हम प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध उसी सेवा में काम करने वाले एक अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने से संबंधित अभिकथनों पर विस्तार से विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस संबंध में जांच अभी लंबित है और प्रस्तुत कार्यवाहियों में ऐसा करना उचित भी नहीं हो सकता है । तथापि, हमें इस बारे में कोई कारण दिखाई नहीं देता कि अपीलार्थी को ऐसी अनावश्यक मुकदमेबाजी करने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ा जब कि पक्षकारों ने प्रारंभ में ही गंभीर विचार-विमर्श के पश्चात् और बच्चों के हित में अपीलार्थी को अभिरक्षा दे दी है ।

20. हमारा यह मत है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने बच्चों के साथ हुई बातचीत को ऐसे समय में अनुचित महत्व दिया जब कि वे स्वाभाविक रूप से बोर्डिंग स्कूल की अपेक्षा माता-पिता में से किसी एक के साथ रहना चाहेंगे । प्रत्यर्थी सं. 1 को इस बात का दावा करने के लिए कि बच्चों को उसके पास ही रहना चाहिए, दीर्घावकाश अवधि के

लिए अनुदत्त मिलने के अधिकारों का फायदा लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है ।

21. अतः, हमारा यह सुस्पष्ट मत है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 25 जुलाई, 2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा निकाला निष्कर्ष अन्यायोचित है और कुटुम्ब न्यायालय का तारीख 9 दिसम्बर, 2016 का आदेश सही था ।

22. जहां तक प्रत्यर्थी सं. 1 के मिलने संबंधी अधिकारों के प्रयोजनार्थ कोई अतिरिक्त सुविधाजनक निदेश देने का संबंध है, कुटुम्ब न्यायालय या उच्च न्यायालय आवश्यक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा । प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा बच्चों के सभी सुसंगत दस्तावेज़ों सहित आज से तीस (30) दिन के भीतर कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के पास भेजा जाना चाहिए । यदि अपीलार्थी बच्चों का मध्यावधि प्रवेश कराने की व्यवस्था करने में असमर्थ है तो वह प्रत्यर्थी सं. 1 को सूचित कर सकेगा और उस दशा में बच्चे इस समय उसी स्कूल में अध्ययन करते रहेंगे और सत्र की समाप्ति तक प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ रहते रहेंगे । ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बच्चों की पढ़ाई में विघ्न न पड़े । हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाद-विच्छेद डिक्री में यथा-प्रकल्पित अधिकार और बाध्यताएं अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 दोनों पर आबद्धकर होंगी । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चों द्वारा प्राप्तवयता की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, उनकी अपनी पसन्द होगी ।

23. तद्नुसार, अपील मंजूर की जाती है और पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.